




INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

*Chandra*

Certificate No. : IN-UP85058182274928U  
Certificate Issued Date : 03-Sep-2022 11:46 AM  
Account Reference : IMPACC (SH)/ upshimp17/ AKBARPUR/ UP-AMB  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHIMP1762482722579710U  
Purchased by : V S S ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN  
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
Property Description : Not Applicable  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : V S S ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN  
Second Party : Not Applicable  
Stamp Duty Paid By : V S S ADUCATIONAL ACADEMY AYODHYAY ROAD ABN  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
(One Hundred only)



Please write or type below this line  
(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम सुषमा त्रिपाठी एवं सुनील कुमार त्रिपाठी क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक वी0एस0एस0 एजुकेशनल एकेडमी समिति पता- ग्राम-बरवा बैरमपुर पोस्ट -अकबरपुर तहसील- अकबरपुर जनपद- अम्बेडकर नगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा महर्षि योगीराज देवरहा बाबा महाविद्यालय पता- ग्राम व पोस्ट-तेन्दुआई कला तहसील- आलापुर जनपद- अम्बेडकर नगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम महर्षि योगीराज देवरहा बाबा महाविद्यालय पता- ग्राम व पोस्ट-तेन्दुआई कला तहसील- आलापुर जनपद- अम्बेडकर नगर मे गाटा संख्या 249ख रकबा 1. 012हे0 भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcstamps.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- 3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 249ख रकबा 1.012हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

मेरी मजदूरी के अन्तर्गत यह मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

*Kashish Gupta*  
 80 प्रबंधक

*Sunita Jaiswal*  
 80 अध्यक्ष